न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 128 / 2020

GCMS No.- 2020/00163

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
पुखराज पुत्र श्री घनश्याम जाति माली निवासी उचित मूल्य दुकानदार मोडी खुर्द ग्राम पंचायत टापरवाडा तहसील परबतसर जिला नागौर, राजस्थान 341503		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील **श्री अर्जुनदास।**
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) **श्री देवाराम सारण।**

निर्णय **दिनांक–** 07-01-2021

1. अपीलान्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 62 / 2020 राजस्थान सरकार बनाम पुखराज में निर्णय दिनांक 30.07.2020 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के मयाद प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश किया। अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि माननीय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा जो जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, उसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को आदेश की नकल जरिये रजिस्टर्ड डाक के दिनांक 20.08.2020 को प्राप्त हुई, जिसके पश्चात अविलम्ब अपीलांट की ओर से अध्ययन आदेश कर वकील से सम्पर्क किया व सम्पूर्ण कागजात इक्कठे किये व उपरांत यह अपील पेश की है जो जानकारी से अंदर मियाद होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट का मियाद प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा जो जैर अपील निर्णय पारित किया गया हैं, उसमें भारी कानूनी और वाक्याती भूल की है। गवाहान के बयान अपीलांट की गैर मौजूदगी में लिये गये व जिरह का अवसर नहीं दिया गया है।

3(1)—जिला रसद अधिकारी ने अपने जैर अपील निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 के उपरी पेरा में अपीलांट के अनुपस्थित रहने व जवाब पेश नहीं करने बाबत् लिखा गया है जो कि पूर्णतया असत्य है, जबकि अपीलांट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर नोटिस का विस्तृत जवाब पेश किया गया था। जिसका जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश में विस्तृत जवाब पेश किया गया था। रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 10.[illegible].2020 को दिए नोटिस के बिन्दुओ बाबत् ही दिनांक 02.05.2020 को नोटिस दिया गया था, जिस प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपना विस्तृत जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

नोटिस दिनांक 10.05.2020 का उल्लेख करते हुए ही दिनांक 22.06.2020 को नियत तारीख पेशी पेश किया था, जिसका उल्लेख माननीय रसद अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.07.2020 में किया है।

3(2)—जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा प्रार्थी अपीलांट द्वारा दिये गये विस्तृत जबाब को न मानने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। जबकि प्रार्थी अपीलांट दिनांक 22.06.2020 अपने जबाब सहित माननीय रसद अधिकारी के समक्ष पेश हुआ था तब अपीलांट को कोई जबाब पेश करने हेतु नहीं कहा गया।

3(3)—जिला रसद अधिकारी नागौर के अधिनस्थ अधिकारी सप्लाई इंस्पेक्टर (अतिरिक्त चार्ज) व नायब तहसीलदार भकरी द्वारा दिनांक 06.07.2020 को अपीलांट की उचित मूल्य दुकान ग्राम मोड़ी खुर्द ने भौतिक सत्यापन किया गया था जिसकी मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी / अपीलांट की पोश मशीन दर्शित स्टॉक मौके पर उपलब्ध पाया गया, उक्त रिपोर्ट को भी जैर अपील निर्णय ना मानने से भारी काननी वाक्याती भूल की है।

3(4)—पूर्व सप्लाई इस्पेक्टर द्वारा अपीलांट के विरूद्व मौका रिपोर्ट बनाई थी जो शिकायतकर्ताओ के प्रभाव व दबाव में राजनैतिक प्रभाव में आकर बनाई गई थी जबकि शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र व्यक्ति है। जिनको अपीलांट द्वारा खाद्य सुरक्षा का अनुचित लाभ लेने की कार्यवाही करने बाबत् राजनैतिक वस शिकायत की गई थी जबकि पोश / मशीन अनुसार सम्पूर्ण स्टॉक उचित मूल्य की दुकान वह अन्य गोदाम में स्टॉक उपलब्ध था जिनकी पुष्टि अतिरिक्त चार्ज सप्लाई इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार भकरी की मौका रिपोर्ट दर्शित है।

3(5)—अपीलांट द्वारा अपने समस्त उपभोक्ताओ के साथ अच्छा व्यवहार किया गया, सभी को समय पर राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी, परन्तु कुछ रंजिश वश लोगो द्वारा झुठी शिकायत की गई थी, जिसके बाबत् समस्त ग्रामवासी मोड़ी खुर्द द्वारा दिनांक 12.05.2020 को उपखण्ड अधिकारी परबतसर को ज्ञापन देकर अपीलांट निलम्बन निरस्त करने हेतु पुनः बहाल करने हेतु ज्ञापन दिया गया था।

3(6)—अपीलांट के विरूद्व शिकायतकर्ता लोगो का खाद्य सुरक्षा में अपात्रता होने की जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर को सुपुर्द की थी जिसमें अपीलांट की विरूद्व शिकायतकर्ताओ का खाद्य सुरक्षा में पात्र बन अनुचित लाभ लेना पाया गया। कुछ शिकायतकर्ता द्वारा अपीलांट के पक्ष में शपथ पत्र दिये गये कि उनसे अन्य शिकायतकर्ताओ ने बहकाकर अनुचित दबाव बनाकर उक्त हस्ताक्षर करवाये थे।

3(7)—अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं देने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर जैर अपील दिनांक 30.07.2020 के आदेश को अपास्त करने और अपीलांट का लाईसेन्स पुनः बहाल का आदेश का निवेदन किया।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी परबतसर एवं ग्रामवासी मोड़ीखुर्द से बार—बार शिकायत प्राप्त होने पर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान मोड़ीखुर्द की प्रवर्तन निरीक्षक परबतसर द्वारा मौके पर दिनांक 02.05.2020 को निरीक्षण / जॉच की गई जिसके सन्दर्भ में मौका फर्द रूबरू उपस्थित व्यक्तियों के रूबरू तैयार, फर्द जब्ती राशन कार्ड रूबरू मौतबिरान तैयार की, गवाह रमेश चंद पुत्र धर्माराम मेघवाल, पप्पुराम पुत्र किशनाराम मेघवाल, सोहनराम पुत्र चुनाराम मेघवाल, शंकरराम पुत्र मांगूराम मेघवाल, बजरंगलाल पुत्र रामकरण सोनी, चौथमल पुत्र रामेश्वरलाल सोनी, कमल किशोर पुत्र रतनलाल ब्राहमण, दीनाराम पुत्र बंशीराम मेघवाल के बयानात, राशन कार्डो की ट्रांजेक्शन हिस्टी रिपोर्ट, दिनांक 02.05.2020 का स्टॉक की रिपोर्ट इत्यादी दस्तावेजात के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक परबतसर द्वारा जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.05.2020 जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रेषित की जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा निम्न अनियमिताऐं पाई गई— 1. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बोर्ड पर स्टॉक व मूल्य का प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। 2. स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया व उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा नक्शा ट्रेस (स्थान की अनुमति) भी प्रस्तुत नहीं किया गया। 3. उचित मूल्य दुकानदार पुखराज से पोश मशीन मांगने पर भी नहीं दी गई पोश मशीन लेकर भाग गया। 4. उचित मूल्य दुकानदार ने अवैध तरीके से उपभोक्ताओं के 202 राशन कार्ड अपने कब्जे में रखे पाये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला ... नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

थे, जिन्हे मौके पर ही जब्त किया गया है। 5. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूँ के साथ अनेक उपभोक्ताओं को केरोसीन वितरण भी किया जा रहा है जबकि भौतिक सत्यापन में केरोसीन वितरण करना नहीं पाया गया व केरोसीन भी नहीं पाया गया। 6. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 28 मार्च 2020 को व उसके बाद भी कई उपभोक्ताओं से राशन सामग्री के पैसे वसूलना पाया गया। 7. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कई उपभोक्ताओं को दो–दो बार सामग्री का ट्रान्जेक्शन किया गया परन्तु दर्ज बयानों के आधार पर एक बार ही भौतिक रूप से दिया गया है। 8. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन वितरण की प्रविष्टियां नहीं की जाती है व राशन वितरण की पर्ची भी उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है। 9. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार करना पाया गया। 10. उचित मूल्य दुकान का पुखराज (उचित मूल्य दुकानदार) व उसके पिता के सामने भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें गेहूँ 11592 किलोग्राम, केरोसीन 40 लीटर, चीनी 72.15 किलोग्राम कप पाई गई अर्थात इस सामग्री को खुर्द–बुर्द कर गबन किया गया है। 11. उचित मूल्य दुकानदार ने स्टॉक (सामग्री) खुले बरामदे में रखी गई है, जो धूल मिट्टी वर्षा से असुरक्षित है। 12 उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा समय से वितरण करना नहीं पाया गया व आज दूसरे दिन भी उपभोक्ता पक्षवाड़े के बावजूद वितरण प्रांरभ नहीं किया गया। प्रवर्तन अधिकारी परबतसर ने उक्त रिपोर्ट के आधार उचित मूल्य दुकानदार अपीलान्ट पुखराज द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तों को उलंघन करना बताया है। प्रवर्तन अधिकारी की उक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.05.2020 के आधार पर विभागीय प्रकरण संख्या 62 / 2020 राजस्थान सरकार बनाम पुखराज उ.मु.दु. मोड़ी खुर्द तहसील परबतसर दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस क्रमांक 739 दिनांक 02.05.2020 निम्नानुसार आरोपों के संबंध में जारी किया गया–1–वक्त निरीक्षण पाया गया कि आप राशनकार्ड संख्या 008357500215, 008355700539, 008357500400, 008357500252 एवं 0083555700538 से माह अप्रैल 20 में दो बार ट्रांजेक्शन किया गया जबकि भौतिक रूप से एक बार ही गेहूं दिया गया है। 2–वक्त निरीक्षण पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा कैरोसीन का भी पिछले एक वर्ष से वितरण नहीं किया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त अवधि में कैरोसीन का ट्रांजेक्शन किया गया है। 3–वक्त निरीक्षण पाया गया कि माहमारी कोविड के दौरान भी आप द्वारा राशन के पैसे लिये गये। 4–वक्त निरीक्षण 202 राशन कार्ड मौके पर मिले जो अपीलान्ट द्वारा ग्रामवासियों को लौटाये नहीं जाते बल्कि अवैध रूप से स्वयं के पास रखे जाते एवं राशनकार्डो में वितरण का सही इन्द्राज नहीं किया जाता है। 5–वक्त निरीक्षण पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण की पर्चियां भी नहीं दी जाती एवं उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। 6–वक्त निरीक्षण पाया गया कि भौतिक सत्यापन में 11592 किग्रा गेहूं, 40 लीटर कैरोसीन एवं 72.15 किग्रा चीनी का स्टॉक कम पाया गया। अतः उक्त राशन एवं कैरोसीन का अपीलान्ट द्वारा गबन किया गया। 7–वक्त निरीक्षण अपीलान्ट पोश मशीन लेकर भाग गये। उक्त आरोपों के संबंध में अपीलान्ट ने 22.06.2020 को उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया एवं अपीलान्ट द्वारा तारीख पेशी दिनांक 06.07.2020 को नायब तहसीलदार भकरी द्वारा दिनांक 06.07.2020 को दुकान के भौतिक निरीक्षण बाबत रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। तारीख पेशी 14.07.2020 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ जो आदेशिका दिनांक 14.07.2020 से स्पष्ट है एवं आगामी पेशी 30.07.2020 नियत की गई। परन्तु तारीख पेशी दिनांक 30.07.2020 को अपीलान्ट अनुपस्थित रहा एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं रिकार्ड के आधार पर सम्पूर्ण आरोपों के संबंध में विस्तृत विवेचन करते हुऐ निर्णय जैर अपील दिनांक 30.07.2020 पारित किया, जिनका पुनः यहां उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत सिद्ध हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] के प्रकरण में पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि नहीं होने से इसमें [illegible] किया जाना उचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी परबतसर एवं ग्रामवासी मोड़ीखुर्द से बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान मोड़ीखुर्द की प्रवर्तन निरीक्षक परबतसर द्वारा मौके पर दिनांक 02.05.2020 को निरीक्षण / जॉच की गई जिसके सन्दर्भ में मौका

नागौर (राजस्थान)
परबतसर, नागौर

फर्द रूबरू उपस्थित व्यक्तियों के रूबरू तैयार, फर्द जब्ती राशन कार्ड रूबरू मौतबिरान तैयार की, गवाह रमेश चंद पुत्र धर्माराम मेघवाल, पप्पुराम पुत्र किशनाराम मेघवाल, सोहनराम पुत्र चुनाराम मेघवाल, शंकरराम पुत्र मांगूराम मेघवाल, बजरंगलाल पुत्र रामकरण सोनी, चौथमल पुत्र रामेश्वरलाल सोनी, कमल किशोर पुत्र रतनलाल ब्राहमण, दीनाराम पुत्र बंशीराम मेघवाल के बयानात, राशन कार्डों की ट्रांजेक्शन हिस्टी रिपोर्ट, दिनांक 02.05.2020 का स्टॉक की रिपोर्ट इत्यादी दस्तावेजात के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक परबतसर द्वारा जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.05. 2020 जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रेषित की जिसके अनुसार प्रवर्तन अधिकारी परबतसर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार अपीलान्ट पुखराज द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तों को उलंघन करना बताया है। प्रवर्तन अधिकारी की उक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.05.2020 के आधार पर विभागीय प्रकरण संख्या 62 / 2020 राजस्थान सरकार बनाम पुखराज उ.मु.दु. मोड़ी खुर्द तहसील परबतसर दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस क्रमांक 739 दिनांक 02.05.2020 निम्नानुसार आरोपों के संबंध में जारी किया गया—1—वक्त निरीक्षण पाया गया कि आप राशनकार्ड संख्या 008357500215, 008355700539, 008357500400, 008357500252 एवं 0083555700538 से माह अप्रैल 20 में दो बार ट्रांजेक्शन किया गया जबकि भौतिक रूप से एक बार ही गेहूं दिया गया है। 2—वक्त निरीक्षण पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा कैरोसीन का भी पिछले एक वर्ष से वितरण नहीं किया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त अवधि में कैरोसीन का ट्रांजेक्शन किया गया है। 3—वक्त निरीक्षण पाया गया कि माहमारी कोविड के दौरान भी आप द्वारा राशन के पैसे लिये गये। 4—वक्त निरीक्षण 202 राशन कार्ड मौके पर मिले जो अपीलान्ट द्वारा ग्रामवासियों को लौटाये नहीं जाते बल्कि अवैध रूप से स्वयं के पास रखे जाते एवं राशनकार्डो में वितरण का सही इन्द्राज नहीं किया जाता है। 5—वक्त निरीक्षण पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण की पर्चियां भी नहीं दी जाती एवं उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। 6—वक्त निरीक्षण पाया गया कि भौतिक सत्यापन में 11592 किग्रा गेहूं, 40 लीटर कैरोसीन एवं 72.15 किग्रा चीनी का स्टॉक कम पाया गया। अतः उक्त राशन एवं कैरोसीन का अपीलान्ट द्वारा गबन किया गया। 7—वक्त निरीक्षण अपीलान्ट पोश मशीन लेकर भाग गये। उक्त आरोपों के संबंध में अपीलान्ट ने 22.06.2020 को उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया एवं अपीलान्ट द्वारा तारीख पेशी दिनांक 06.07.2020 को नायब तहसीलदार भकरी द्वारा दिनांक 06.07.2020 को दुकान के भौतिक निरीक्षण बाबत रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। तारीख पेशी 14.07.2020 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ जो आदेशिका दिनांक 14.07.2020 से स्पष्ट है एवं आगामी पेशी 30.07.2020 नियत की गई। परन्तु तारीख पेशी दिनांक 30.07.2020 को अपीलान्ट अनुपस्थित रहा एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं रिकार्ड के आधार पर सम्पूर्ण आरोपों के संबंध में विस्तृत विवेचन करते हुऐ निर्णय जैर अपील दिनांक 30.07.2020 पारित किया, जिनका पुनः यहां उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में हस्तक्षेप किया जा सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर